संख्या-224/2018/3651/26-3-2018-6(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर 2018

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट लगाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-231/ज.जा.वि./ 2018-19, दिनांक-15.10.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 02 विद्यालयों राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बिशुनपुर विश्राम बलरामपुर (बालिका) एवं चन्दनचैकी, खीरी (बालिका) में 05 किलोवाट की क्षमता का सोलर पावर प्लान्ट छात्राओं के आवासीय भवन एवं 05 किलोवाट की क्षमता का प्लान्ट प्रशासनिक भवन में स्थापित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा के पत्र संख्या-3361 यूपीनेडा-एसई-एसपीजी-जनरल/03/300/ 2017-18, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा सौर ऊर्जा की संशोधित दरे उपलब्ध करायी है, जिसके अनुसार 5 किलोवाट की क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की दरें (अन्य करों जी0एस0टी0 सहित) विवरण निम्नवत् है:-

सोलर पावर प्लाण्ट क्षमता 5 किलोवाट की नई दरें:-

Power Plant Capacity	Battery Bank Capacity	Approved Rate of Power Plant	Centege Charge 3 %	GST 18% on Centege Charges	Total Cost
सोलर प्लान्ट 5 कि0वॉट	96V , 400Ah	Rs. 5,99,000	17,970.00	3,235.00	Rs.6,20,205.00

उक्त विवरण के अनुसार 5 किलो वॉट के 4 सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु निम्नानुसार धनराशि की आवश्यकता है:-

क्र0सं0	विवरण	संख्या	दर	कुल वांछित धनराशि (रूपये में)
1	5 किलो वाट के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु	4	रू0—620205/—	2480820.00
			कुल योग :—	**2480820.00**

2- इस संदर्भ में निदेशक, जनजाति विकास द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत पूंजीगत मद में प्राविधानित धनराशि रूपया-1,05,00,000/- के सापेक्ष अवशेष रूपये-55.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0-24,80,820/-(रू0 चौबीस लाख अस्सी हजार आठ सौ बीस मात्र) की स्वीकृति निर्गत किये जाने तथा यू0पी0 नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को भी यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0109-वनबन्धु कल्याण योजना (के.100 प्रति.रा.0प्रति-के.)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

पृ0संख्या-224/2018/3651(1)/26-3-2018- तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- राज्य योजना आयोग-1/2
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वरिष्ठ परियोजनाधिकारी, यू0पी0 नेडा, उ0प्र0 लखनऊ।
6-जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर/लखीमपुरखीरी, उ0प्र0।
7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।